कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक/एफ–5/1108/2022/10–11/2504 भोपाल, दिनांक 18/7/22

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
(सामान्य) वन मंडल दमोह, मध्यप्रदेश।

विषयः– दमोह जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत दमोह–कटनी से जोगीडाबर पहुंच मार्ग निर्माण हेतु 0.855 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 0.58615 हेक्टेयर) म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, दमोह को उपयोग पर देने बाबत्। (ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/ROAD/129457/2021)

संदर्भः–(1)इस कार्यालय का पत्र क्र./एफ–5/1108/2022/10–11/1161 दि. 29.03.2022
(2)महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, दमोह का पत्र क्रमांक/296 दिनांक 31.05.2022

–0–

उपरोक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा विषयांकित प्रस्ताव में इस कार्यालय द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई थी। संदर्भित पत्र (2) द्वारा महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, दमोह ने विषयांकित प्रकरण में जारी सैद्धांतिक स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को भेजा है। पालन प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक संस्थान द्वारा प्रकरण में नेट प्रजेण्ट वैल्यू की राशि रूपये 10,50,444/–, 140 वृक्षों की रोपण की राशि रू0 2,80,000/– एवं उल्लंघन हेतु दाण्डिक राशि रू0 2,45,718/– ई–पोर्टल के माध्यम से भुगतान कर दी गई है। आवेदक संस्थान द्वारा वनाधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर दमोह का प्रमाण पत्र दिनांक 08.04.2022 की हार्डकॉपी इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण दमोह के उल्लंघन हेतु दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही सामान्तर रूप से जारी रहेगी।

आवेदक संस्थान द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन भी ई–पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। अतः सैद्धांतिक स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन के आधार पर औपचारिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :–

1- Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2- Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency.
3- User agency shall restrict the 14 felling of trees.
4- The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.

-2-

5- No labour camp shall be established on the forest land.
6- User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
7- The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
8- No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
9- The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
10- No work shall be done during night.
11- The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
12- Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11- 42/2017-FC dt 29/01/2018.

उपरोक्तानुसार समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन आवेदक संस्थान से प्राप्त कर इस कार्यालय को भेजें। पालन प्रतिवेदन भेजने के उपरांत ही आवेदक संस्थान को कार्य करने एवं क्षेत्र हस्तांतरण की अनुमति दी जावे।

18/7/2022

(सुनील अग्रवाल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबन्ध)
मध्य प्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ–5 / 1108 / 2022 / 10–11 / 2505 भोपाल, दिनांक 18/7/22

प्रतिलिपिः–

1– मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) सागर वृत्त, सागर, मध्यप्रदेश।
2– महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई–2, एच.आई.जी.–17, विवेकानंद कॉलोनी, दमोह, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

18/7/2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबन्ध)
मध्य प्रदेश, भोपाल